


2788



उत्तरे प्रदेश UTTAR PRADESH

रॉयल बुक नं०
रुबि० नं०-329717

M 243678

लीज डीड (पट्टा विलेख)


स्टाम्प अंकन 7,200/- रूपये
 महावीरा प्यूपील्स एजुकेशन सोसायटी, 23 बख्तावरपुर
 (टाण्डा) दिल्ली-110036 द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र
 श्री कृष्णकान्त निवासी मकान नं०-23, बख्तावरपुर,
 टाण्डा, दिल्ली-36। (प्रथम पक्ष)

बहक

एन०सी०पी०ई० कालिज ऑफ लॉ, जवाहर नवोदय
 विद्यालय रोड़, धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी,
 जिला- गौतमबुद्धनगर द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र श्री
 कृष्णकान्त निवासी मकान नं०-23, बख्तावरपुर, टाण्डा,
 दिल्ली-36 (द्वितीय पक्ष)

६

६




23/11

स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता
स्टाम्प की घनराशि
पि प्रोपियल एग्जिक्यूटिव सोसायटी 23 बरबली बरबरी
रांणा दिल्ली द्वारा कल्पस सुशीलकुमार

गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता
ला० न०-22, ला० की अक्षरिका-31-3-28/2
तहसील कम्पारण्ड, भादरा (मि० बु० बरबरी)
किसी सीमा - 15000/-

बनौनी
उजरात
श्री
पति श्री
निवासी
कार्यालय सब रजिस्ट्रार दारदी जिला
नाम बुद्ध नगर में आज दिनांक 23/11/10
प्राय 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।



जिसके द्वारा
जिसके द्वारा
जिसके द्वारा
तबव से तबव से तबव से तबव से श्री सुशील कुमार अध्यक्ष
अध्यक्षता में श्री सुशील कुमार अध्यक्ष 23 बरबली
पुं सुशील कुमार अध्यक्ष श्री सुशील कुमार अध्यक्ष
कार्यालय भादरा द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार अध्यक्ष
कृष्ण कान्त मि० न० 23 बरबली पुं रांणा
ने खोला किया।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 037940

2

विदित हो कि मैं प्रथम पक्ष ग्राम धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर में खसरा नम्बर-445 रकबा 0.3887 हैक्टेयर पर निर्मित भवन जिसमें पाँच कमरे, एक वाचनालय, एक स्टॉक रूम, एक मिटिंग हॉल, एक कार्यालय व चार शौचालय पुरुष व चार शौचालय महिला निर्मित है जिसका प्रथम मालिक व काबिज है। जिसको प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए निम्न शर्तों पर लीज (पट्टा) पर दिया है।

1- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि व भवन को लौ कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए प्रथम पक्ष से पट्टे पर ले रहा है। जिसकी अवधि आज दिनांक 23-01-2010 से प्रारम्भ होकर दिनांक 22-01-2040 तक रहेगी।

६

६



23/1/10


क्र.सं. 92 स्टाम्प विक्रय की तिथि...
 स्टाम्प क्रय करन का प्रयोजन
 स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
 स्टाम्प की धनराशि
गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता
 ला.नं-22, ता.० की बंधि-31-3-2010...
 तहसील कम्पाउंड, बाहरा (पो. वृ. बंधव)
 निजी सीमा ÷ 15000/-

जनका पहचान श्री राज कुमार
 पुत्र श्री प्रेमनाथराव श्रेष्ठ चौकरी
 निवासी शुभमजी-कम्पाउंड तह बाहरा
 श्री सुभाष चौकरी
 पुत्र श्री बाबूराव चौकरी
 निवासी मायूरा हनुमान नौछा

23/1/10

57

57



Signature

Signature

23/1/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 037941

3

- 2- यह कि उपरोक्त भूमि व भवन का किराया 5,000/- रुपये (पाँच हजार रुपये) प्रति माह द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा।
- 3- यह कि द्वितीय पक्ष अपना लॉ कालिज चलाने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त भूमि व भवन पर कोई परिवर्तन या निर्माण करा सकता है।
- 4- यह कि उक्त निर्माण में होने वाले खर्च को द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा। प्रथम पक्ष से उस खर्च का कोई लेना-देना नहीं होगा।

६



६



94

23/1/10

क्र.सं. १२२-स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता


स्टाम्प की धनराशि

गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता

ला.नं. 22, ला. की अर्द्धि - 31-3-2010

तहसील कम्पाउण्ड, बावरा (पि. वृ. बयन)

पिछी सीमा - 15000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 042111

4

- 5- यह कि पट्टे की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को पट्टे पर नहीं देगा।
- 6- यह कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से नया विलेख द्वारा पट्टा अवधि को बढ़ा सकेंगे।
- 7- यह कि पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार भूमि व भवन को खाली कराना चाहेगा तो उसे तीन माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना होगा। बिना नोटिस के पट्टा अवधि समाप्त नहीं की जा सकेगी। और यदि द्वितीय पक्ष अवधि से पूर्व भूमि या भवन खाली करेगा तो उसे एक माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना अनिवार्य होगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 042112

5

अतः यह पट्टा विलेख पत्र हम पक्षकारों ने आज दिनांक 23-01-2010 को खूब सोच समझकर, बिना किसी जोर दबाव व स्वस्थ चित्त की दशा में समक्ष गवाहान लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।



गवाह -1 राजकुमार पुत्र श्रीमारापण सिंह
श्री राम चरममारापणपुर लखनवाड़ी

गवाह -2 सुबोध पुत्र वाहराम जिवाली
राम मारापण सिंह - 66 नोड
जनपद गोरखपुर
सुबोध

तारीख 23-01-2010 ई0 मसौदा लेखक श्रीमती एडवोकेट, दादरी।

एडवोकेट
श्रीमती एडवोकेट